कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–

प्रेषक,

भारत ज्योति,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय – गया जिलान्तर्गत पाँच पहाड़ियों (डुंगेश्वरी, लारपुर, ब्रह्म्योनि, रामशीला एवं प्रेतशिला) पर सोलर पावर के सुरक्षा के लिये दीवार/भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0245 हे० वन भूमि अपयोजन पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गया जिलान्तर्गत पाँच पहाड़ियों (डुंगेश्वरी, लारपुर, ब्रह्म्योनि, रामशीला एवं प्रेतशिला) पर सोलर पावर के सुरक्षा के लिये दीवार/भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गया हावाई अड्डा का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित परियोजना में अपयोजित होने वाले स्थल पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा **"प्राकृतिक वन" के रूप में अधिसूचित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा अंकित किया गया है कि परियोजना में कुल 0.0245 हे० वन भूमि का अपयोजन होना एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या शून्य है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया है कि अपयोजित होने वाली पाँच पहाड़ियों (डुंगेश्वरी, लारपुर, ब्रह्मयोनी, रामशीला एवं प्रेतशिला) की वन भूमि में से तीन पहाड़ियाँ (प्रेतशीला, रामशीला एवं ब्रह्मयोनी) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग** (archeological Site) **द्वारा संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित है।**

उपर्युक्त के संदर्भ में प्रयोक्ता एजेंसी को द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार (पुरातत्व निदेशालय) पत्रांक– 5पुरा/स. 1–10/2015–265 दिनांक 24.08.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा परियोजना की स्वीकृति के लिये पाँच बिन्दुओं के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो निम्नलिखित है–

1. भवन बनाने हेतु पहाड़ पर कोई तोड़–फोड नहीं किया जायेगा।
2. भवन की दिवारें ईंट से बनाई जायेगी।
3. भवन की ऊँचाई 7' (सात फीट) से अधिक नहीं होगी।
4. भवन का छत जी०आई०शीट या पी०वी०सी० का होगा।
5. निर्माण कार्य में विभागीय पदाधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

फोन/फैक्स न०–8986153134 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

परियोजना निर्माण स्थल को नक्शा पर दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है एवं भाग–II की प्रविष्टि में यह भी अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

परियोजना निर्माण स्थल से वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र की दूरी 25 कि०मी० है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को क्षतिपूरक वनीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है, परन्तु परियोजना लागत को देखते हुए प्रयोक्ता एजेंसी से पचास पौधों के रोपण की राशि 7 वर्षों के समपोषण के साथ ली जा सकती है।

अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(1) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(2) 0.0245 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,337/– (रूपये पन्द्रह हजार तीन सौ सैतीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 वृक्षों के वृक्षरोपण एवं 7 वर्षों तक इसके रखरखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

2/12/16

(भारत ज्योति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन/फैक्स न०–8986153134 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com